शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हरियाणा के एक ट्रैवल ब्लॉगर को कथित गुप्तचरी और पाकिस्तान समर्थक सामग्री को बढ़ावा देने के आरोप में **शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3 और 5** तथा **भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत गिरफ्तार किया गया।**

शासकीय गुप्त बात अधिनियम (OSA), 1923

- **परिचय:** इसका गठन औपनिवेशिक युग के **भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1889 के दौरान हुआ था**, जिसका उद्देश्य **प्रेस की असहमति को दबाना था एवं वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन** के अधीन इसे और अधिक कठोर बना दिया गया तथा अंततः वर्ष **1923 में इसे संशोधित किया गया।**
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **गुप्तचरी** और **वर्गीकृत संवेदनशील जानकारी** के **अनधिकृत प्रकटीकरण को** रोकना, भारत की **संप्रभुता, अखंडता** एवं **सामरिक हितों की रक्षा करना है**, विशेष रूप से विदेशी खतरों से।
- **प्रयोज्यता:** यह **भारत और विदेश में** सरकारी अधिकारियों सहित **सभी भारतीय नागरिकों पर लागू है** तथा **गैर-नागरिकों पर भी लागू है**, यदि वे गुप्तचरी के कृत्यों में शामिल हैं।

OSA, 1923 की धाराएँ:

- **शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3** गुप्तचरी और **राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध** कृत्यों **को अपराध मानती है, जिसमें संवेदनशील दस्तावेज़ों को रखना** या गुप्त कोड को साझा करना शामिल है, जिसके लिये 14 वर्ष तक के कारावास की सज़ा हो सकती है।
- **धारा 5 में सरकारी दस्तावेज़ों के अनाधिकृत प्रकटीकरण, कब्ज़े, प्रतिधारण या उन्हें वापस न करने** पर दंड का प्रावधान है, इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो दुर्भावनापूर्ण ऐसी सूचना प्राप्त करते हैं।
- **धारा 10 गुप्तचरों को शरण देने** पर दंड से संबंधित है।

BNS की धारा 152

- **BNS की धारा 152** (**राजद्रोह** से संबंधित) **जानबूझकर किये गए ऐसे कृत्यों को अपराध मानती है** - शब्दों, संकेतों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या वित्तीय माध्यमों द्वारा- **जो अलगाव, विद्रोह को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुँचाते हैं,** जबकि **सरकार की वैध व कानूनी आलोचना को छूट दी गई है।**

और पढ़ें: शासकीय गुप्त बात अधिनियम, राजद्रोह के आरोप के तहत गिरफ्तारी।